BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 511 OF 2023

IN THE MATTER OF

Priyank Bharati **APPLICANT IN PERSON**

Versus

State of Uttar Pradesh through its Chief Secretary and ors.

RESPONDENTS

INDEX

S.No	Particulars	Annexures	Page No.
1.	Failure of Mawana Tehsil Administration to Prevent Illegal Construction on Budhi Ganga – Letter through Email to Chief Secretary, Uttar Pradesh (CC: Revenue Board, Lucknow & DM Meerut)	**1**	**1-3**

Priyank Bharati

Applicant in Person

Date : 26.02.2025

Place : Meerut

ANNEXURE 1

Gmail — Priyank Bharati <naturalsciencestrustmrt@gmail.com>

मवाना तहसील प्रशासन द्वारा बूढ़ी गंगा की जमीन पर अवैध निर्माण रोकने में विफलता –मा0 एनजीटी, नई दिल्ली में योजित O.A. 511/2023 प्रियंक भारती बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य के संदर्भित।

2 messages

Priyank Bharati <naturalsciencestrustmrt@gmail.com> Wed, Feb 26, 2025 at 9:23 PM
To: csup@nic.in, dmmee@nic.in, borlko@nic.in, osd-cmo.up@up.gov.in, cmup@nic.in
Cc: "Consultant Judicial-NGT(P.B.)" <judicial-ngt@gov.in>

Respected Sir,
Please refer to the attachment.

Regards,
Priyank Bharati
Applicant

letter to CS UP dated 26 feb 25.pdf
146K

Chief Minister Office Uttar Pradesh <cmup@nic.in> Wed, Feb 26, 2025 at 9:23 PM
To: naturalsciencestrustmrt@gmail.com

प्रिय महोदय,
आपका ईमेल मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर प्राप्त हुआ है. यदि ईमेल जनशिकायत श्रेणी का है तो मुख्यमंत्री कार्यालय, उ०प्र० द्वारा जनता की शिकायतों को दर्ज किए जाने हेतु विकसित आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल 'जनसुनवाई-समाधान' पर आप द्वारा शिकायत दर्ज करायी जा सकती है, जिसका वेब एड्रेस निम्नवत् है -
https://jansunwai.up.nic.in
2- मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत अनुभाग-5 के कार्यालय-ज्ञाप में ई-मेल के माध्यम से प्रेषित आवेदकों की शिकायतों का संज्ञान न लिये जाने का प्रावधान है। अत: आपसे निवेदन है कि अपनी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु जनसुनवाई पोर्टल का प्रयोग करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराने का कष्ट करें।
धन्यवाद।
मुख्यमंत्री कार्यालय, उ०प्र०
नोट- वेबसाइट या जनसुनवाई के मोबाइल app के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की गयी शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा भी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा गहनता से की जाती है |
जनसुनवाई मोबाइल app डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें|
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nic.up.jansunwai.upjansunwai
शिकायत के वेबसाइट पर दर्ज होने के पश्चात की प्रक्रिया -
आपके मोबाइल पर sms/ईमेल के माध्यम से चौदह अंकों की शिकायत/सन्दर्भ पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी | इस पंजीकरण संख्या एवं दर्ज मोबाइल नंबर/ईमेल के माध्यम से आप किसी भी समय अपनी शिकायत की स्थिति सीधे वेबसाइट या मोबाइल app पर देख सकते हैं एवं निस्तारण के पश्चात निस्तारण आख्या भी देख सकते हैं |
इसके अतिरिक्त किसी भी स्तर पर शिकायत के अधिक समय तक लंबित रहने पर आप अपनी शिकायत का रिमाइंडर भी भेज सकते हैं तथा निस्तारण आख्या से असंतुष्टि की दशा में अपना फीडबैक भी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं| आपके फीडबैक का मूल्यांकन निस्तारणकर्ता अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी द्वारा किया जाएगा|
मूल्यांकन में आपकी आपत्तियों से सहमति की दशा में आपका संदर्भ/शिकायत पुनर्जीवित हो जायेगी, तथा उसका पुनः परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा|

सेवा में, **26.02.2025**

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

विषय: मवाना तहसील प्रशासन द्वारा बूढ़ी गंगा की जमीन पर अवैध निर्माण रोकने में विफलता (मा0 एनजीटी, नई दिल्ली में योजित O.A. 511/2023 प्रियंक भारती बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य के संदर्भित)।

महोदय,

निवेदन है कि बूढ़ी गंगा नदी की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को रोकने में मवाना तहसील प्रशासन की पूर्ण विफलता के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। **यह अत्यंत दुखद और चिंताजनक है कि बार-बार शिकायत करने एवं न्यायाधिकरण के आदेशों के बावजूद, हस्तिनापुर क्षेत्र में बूढ़ी गंगा/बूढ़ी गंगा के कैचमेंट क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण कार्य लगातार जारी हैं**(और पूर्ण भी हो गए) **और प्रशासन इन्हें रोकने में असफल साबित हो रहा है**।जबकि इन निर्माणों के साक्ष्य भी मा० एनजीटी में दाखिल किए गए थे।

महोदय, इस विषय में **राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी मेरठ को भी शिकायत पत्र प्रेषित किया गया था, परंतु परिणाम शून्य रहा** । जब प्रदेश की **सर्वोच्च राजस्व संस्था एवं जिलाधिकारी मेरठ द्वारा भी इस गंभीर विषय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई , तो यह प्रश्न उठता है कि प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली कितनी प्रभावी है**? जब जल स्रोतों और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए स्थापित संस्थाएं निष्क्रिय बनी रहेंगी, तो नियमों और न्यायिक आदेशों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?

प्रशासनिक विफलता और न्यायिक आदेशों की अनदेखी

बूढ़ी गंगा की भूमि एक जल निकाय क्षेत्र है, जिसकी सुरक्षा सरकार और प्रशासन का संवैधानिक दायित्व है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों और उनके प्राकृतिक प्रवाह मार्गों को संरक्षित किया जाए, और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो।

इसके अतिरिक्त, मा0 सुप्रीम कोर्ट के हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी (2001) 6 SCC 496 मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि:

1. सरकारी और सार्वजनिक जल निकायों (तालाब, झील, नदी क्षेत्र आदि) का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अवैध है और इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए।
2. प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा सरकार का संवैधानिक दायित्व है, और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी भूमि पर कोई अतिक्रमण न हो।
3. जल निकायों और उनके जलग्रहण क्षेत्रों को संरक्षित करना न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह जल संरक्षण और सार्वजनिक हित में भी अनिवार्य है।

4. राज्य सरकार और प्रशासन को ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

मा0 सुप्रीम कोर्ट और मा0 एनजीटी के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, **उत्तर प्रदेश में स्थित मवाना तहसील और राजस्व विभाग द्वारा इनका पालन नहीं किया जा रहा है। यह न केवल एक गंभीर प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है**, बल्कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना भी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लें और आवश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप करें, जिससे बूढ़ी गंगा की पवित्र भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जा सके।

सादर,

प्रियंक भारती
148/4 जागृति विहार, मेरठ
मोबाइल:9411823914

प्रतिलिपि,

1. मा० एनजीटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, लखनऊ
3. जिलाधिकारी मोहदय , मेरठ